तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 4328 / 2005 / सीकर पेमाराम बनाम लिछमण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.23	**<u>एकलपीठ</u>** **डॉ. गिरीश पाराशर, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री अजयपाल ढिढारिया, अभिभाषक प्रार्थी। **–आदेश–** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 25–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीए के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा में उठाये गये बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य तथ्य अंकित किये जाने पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए जबाबुल जवाब पेश करने का कथन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर खारिज करने किये जाने से व्यथित होकर उक्त निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम टोडीमाधोपुर तहसील व जिला सीकर के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 2.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 206 रकबा 1.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 370 रकबा 2.33 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 6.66 हैक्टर के बाबत् धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई। अप्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया व उसकी प्रति प्रार्थी द्वारा ग्रहण किये जाने पर प्रार्थी के समक्ष यह तथ्य आये की अप्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए कुछ भिन्न तथ्य अंकित कर दिये गये है जिसका जबाबुल जवाब दिया जाना आवश्यक होने के कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 24–08–2005 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 4328 / 2005 / सीकर पेमाराम बनाम लिछमण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का जबाबुल जवाब दिये जाने हेतु अनुमति चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र पर किसी प्रकार का कोई विवेचन एवं विश्लेषण अंकित किये बिना सरसरी तौर पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन करते हुए आदेश जैर निगरानी पारित किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है। यदि प्रार्थी को जबाबुल जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् सही स्थिति प्रस्तुत हो पाती तथा न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती। चूंकि निगरानी जैर आदेश एक अपुष्ट / अविवेचित / अविश्लेषित आदेश है अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी को जबाबुल जवाब प्रस्तुत करने का विधि सम्मत् अवसर प्रदान किया जावें। हमनें विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन व अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को बार–बार आवाजें लगवाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम टोडीमाधोपुर तहसील व जिला सीकर के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 2.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 206 रकबा 1.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 370 रकबा 2.33 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 6.66 हैक्टर के बाबत् धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25–07–2005 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब की प्रति प्रार्थी द्वारा प्राप्त किये जाने पर प्रार्थी के समक्ष यह तथ्य सामने आये कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में टीआई प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों से भिन्न जवाब प्रस्तुत किया गया है, उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–08–2005 को प्रार्थना–पत्र बाबत् जबाबुल जवाब स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का निस्तारण यह अभिलिखित करते हुए किया गया है कि प्रस्तुत आवेदन का कोई औचित्य नजर नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व विधिक प्रावधानों के विपरित की गई व्याख्या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 4328 / 2005 / सीकर पेमाराम बनाम लिछमण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दृष्टिगत होती है। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का विधिक दृष्टिकोण के तहत सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना–पत्र को विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का मात्र सरसरी तौर पर निस्तारण किया जाना परिलक्षित होता है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रक्रिया के अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करें। आदेश की सूचना अभिभाषक को जरिये कम्प्यूटर दी जाकर पत्रावली बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्त्र हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. गिरीश पाराशर)** **सदस्य**	